

Bill No  
270  
19-20

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक 15/पी 5-01/2016

पटना, दिनांक

2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

\*द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक

2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत राज्यांश के रूप में रु० 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष - 2202 - सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष 102 विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, विपत्र कोड 21-2202031020323, PFMS CODE- 9170, विषय शीर्ष 0323. 31. 05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाएगा।

2. उल्लेखनीय है कि इस स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में निम्नवत् राशि स्वीकृत की गई है :-

क्र०	भारत सरकार का पत्रांक/दिनांक	राशि
01	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-Gen) dated 09.04.19	3,50,00,000/-
02	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-SC) dated 09.04.19	1,00,00,000/-
03	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-ST) dated 09.04.19	50,00,000/-
04	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-Gen) dated 09.04.19	3,50,00,000/-
05	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-SC) dated 09.04.19	1,00,00,000/-
06	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-ST) dated 09.04.19	50,00,000/-
07	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-Gen) dated 09.04.19	1,40,00,000/-
08	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-SC) dated 09.04.19	40,00,000/-
09	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-ST) dated 09.04.19	20,00,000/-
10	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHEXAC-Gen) dated 01.02.2019	1,16,25,000/-

संभव

11	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHEXAC-SC) dated 01.02.2019	22,50,000/-
12	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHEXAC-ST) dated 01.02.2019	11,25,000/-
कुल राशि		13,50,00,000/-

केन्द्र सरकार से इस स्कीम के लिए केन्द्रांश के रूप में उपरोक्त स्वीकृत कुल रू0 13,50,00,000/- (तेरह करोड़ पचास लाख) मात्र की राशि के विरुद्ध राज्यांश के रूप में रूपये 9,00,00,000/- (नौ करोड़) मात्र देय था परन्तु राज्यांश हेतु उपलब्ध योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 37 दिनांक 05.08.2019 द्वारा रूपये 4,00,00,000/- (चार करोड़) मात्र स्वीकृत किया गया था। सम्प्रति राज्यांश मद में उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में शेष राशि रू0 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) मात्र की स्वीकृति दी जा रही है।

4. उक्त स्वीकृत की जा रही राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड़, पटना से की जाएगी एवं एकमुश्त बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन माध्यम से सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक को उपलब्ध कराई जाएगी, जो इस राशि का व्यय कंडिका 3 में वर्णित भारत सरकार के पत्र में निहित निदेशों एवं वर्णित योजनाओं के लिए करेंगे।

5. राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा राशि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर एवं पटना वीमेंस कॉलेज, पटना को आधारभूत संरचना विकास हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के खाते में इस स्कीम के मार्गदर्शिका के अनुसार अंतरण की जाएगी। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को राशि अनुमोदित संस्थागत विकास योजना के अनुसार ही विमुक्त किया जाएगा।

6. स्वीकृत होने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा राज्य सरकार को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत राशि से होने वाले योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसकी गुणवत्ता के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/ कुलपति एवं राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के परियोजना निदेशक पूर्णतः जिम्मेवार होंगे एवं किसी प्रकार के कदाचार की स्थिति में विभाग नियमानुकूल कार्रवाई कर सकेगी।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/पी 5-01/2016 में दिनांक 19.12.2019 को पृष्ठ 17/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका 7 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877-907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने

के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

10. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

11. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

12. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5-01/2016 127 पटना, दिनांक 19/12 /2019

प्रतिलिपि -विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/राज्य परियोजना निदेशक-सह-सदस्य सचिव, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलपति/कुलसचिव/कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा/तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/प्रधानाचार्य, पटना वीमेंस कॉलेज, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी- 05 एवं 15 एवं रोकड़पाल, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

अरशद

Serial No - 1912330978